

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 132/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/00065  
दायर दिनांक :- 25.06.2019 निर्णय दिनांक :- 22.08.2025

1. धूडसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
2. कानसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
3. खुमाकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
4. छैलुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
5. हीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. गुलाबसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
7. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
8. हिम्मतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
9. महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

**बनाम**

1. अचलसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
2. नखतसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
3. उतमसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
4. भगवानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
5. चन्दनसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. धापूकंवर पुत्री सांगसिंह जाति राजपूत निवासी नयाबेरा तहसील लोहावट जिला फलोदी
7. तेजसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी


—अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित :- 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधि. प्रार्थीगण  
2 श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधि. अ. सं. 1 ता 5

**—:: निर्णय ::—**

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है

  
सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूप्यों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की पीढियों से कादिमी पैतृक काश्त भूमि ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी पटवार क्षेत्र टेपू उर्फ जोधाणी तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 20-02 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 86-04 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित काश्त भूमि वक्त भू-प्रबन्ध पन्नेसिंह, सांगसिंह पि. जवारसिंह के नाम पैमाईश होकर खातेदारी के राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबरस्त में दर्ज की गयी। सगतसिंह और उनके भाई पन्नेसिंह, सांगसिंह का वक्ता भू-प्रबन्ध और लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तीनों भाईयों का संयुक्त परिवार होने के बावजूद भू-प्रबन्ध अधिकारियों की भूल एवं त्रुटि से वादग्रस्त खसरान की भूमि खतौनी बन्दोबरस्त में भोक्ता के कॉलम संख्या 3 में पन्नेसिंह, सांगसिंह दर्ज कर खुदकाश्त भूमि होने के बावजूद गलत मकबूजा खुद दर्ज कर दी तथा भोक्ता के कॉलम में सगतसिंह का नाम भाई पन्नेसिंह, सांगसिंह के साथ भूल एवं त्रुटि से दर्ज नहीं किया गया तीनों भाईयों का वादग्रस्त भूमि पर कई पीढियों से लगातार कब्जा काश्त रहा है, और भू-प्रबन्ध के बाद तक तीनों भाईयों के परिवार एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार में रहते हैं। वादग्रस्त भूमि सगतसिंह, पन्नेसिंह, सांगसिंह पि. जवारसिंह की पीढियों से पैतृक एवं खुदकाश्त भूमि होने के बावजूद भू-प्रबन्ध अधिकारियों की विश्वसनीय भूल एवं त्रुटि के फलस्वरूप खुदकाश्त के बजाय गलत तरीके से मकबुजा खुद तथा त्रुटिवश पेन मिस्टेक से गलत दर्ज किये जिसकी दुरुस्ती करवाने और भू-प्रबन्ध के वक्त तथा लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पहले से तीनों भाईयों का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना मानते हुवे राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमियों के गलत इन्द्राज के स्थान पर जागीरदार की खुदकाश्त भूमिया मानकर डिप्टी कलेक्टर के आदेश से भूमि मकबूजा खुद के स्थान पर खुदकाश्त मानकार पीढियों से कब्जा काश्त की मानते हुवे खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 13 के जरिये सगतसिंह का नाम छोड़ते हुवे पन्नेसिंह, सांगसिंह पि. जबवारसिंह के नाम खोला जाकर तीनों भाईयों के संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि होने के बावजूद बिना किसी कब्जा काश्त की जांच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण खोला जाकर तहसीलदार फलोदी द्वारा गलत स्वीकृत किया गया। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने को उतारू है। अप्रार्थीगण इस मकसद में सफल हो जाते हैं जो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने एवं अप्रार्थीगण संख्या 7 अजनवी केता के गलत खुदवाये गये कृषि नलकूप को ध्वस्त करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से राजेन्द्रसिंह सोलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंगन प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना-पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं-

### प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि की खतोनी बन्दोबस्त, नामान्तरकरण का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम टैपू उर्फ जोधाणी के खसरा नम्बर 232 रकबा 20-02 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 86-04 बीघा भूमि पन्नेसिंह, सांगसिंह पि. जवारसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जो वर्तमान में सांगसिंह के वारिसान के नाम दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा है या नहीं इनका निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना है। अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपयोग व उपयोग, कृषि कार्य करने में असुविधा होगी। अतः न्यायालय के विनम्र आदेश में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

### सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पन्नेसिंह, सांगसिंह के फौत होने पर इनके हिस्से की भूमि उत्तराधिकारी अचलसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज की गयी, जो वर्तमान में अचलसिंह व अन्य के नाम दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में उपभोग, उपयोग, कृषि इत्यादि कार्य से वंचित हो सकते हैं। अतः सुविधा का संतुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

### अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्त्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

22/01/15  
राज्यक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है तथा अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**—:आदेश:—**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भाँति साबित होने के कारण खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



*(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस्.)*  
**सहायक कलेक्टर**  
**बाप (फलोदी)**  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)